

जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2013 को “विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर” के अभियंताओं के साथ समाहरणालय कक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के मुख्य एजेण्डों के प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-


1. सर्वप्रथम निर्णय लिया गया कि विद्युत कार्य के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा हेतु प्रत्येक सोमवार को 12:00 बजे की जाएगी।
2. कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि मुंगेर जिला में मीटर रीडिंग का कार्य 6 Agency द्वारा कराया जा रहा है, तथापि Agency द्वारा रखे गये कर्मियों की संख्या में विभेद होने के कारण रीडिंग के कार्य में संतोषजनक वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी है। निर्देश दिया गया कि Agency अपने कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए इस माह में 80% रीडिंग का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा करें।
3. **Billing Cycle** :- समीक्षा के क्रम में Fixing Slip को Billing Cycle में लाने पर हुई चर्चा के दरम्यान परिलक्षित हुआ कि कुल 71605 उपभोक्ताओं में मीटर उपभोक्ता मात्र 62234 ही है। दिनांक 26.07.13 से 15.08.13 तक 14923 मीटर लगाया गया है जिसमें Fixing Slip प्राप्त 8456 मीटर में से 7277 मीटर Billing Cycle में आ गए हैं। अभी 11248 मीटर और लगाया जाना है। इसे एक सप्ताह में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
4. मुंगेर जिले में मीटर रीडिंग एजेन्सी की कुल संख्या वर्तमान में 16 है जिसकी विवरणी निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	28
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	10
4	Kharagpur	1	06
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>68</b>

5. मीटर रीडिंग की समीक्षा में पाया गया कि Agency द्वारा रखे गए मीटर रीडर की संख्या ठीक है। Agency आपस में समन्वय स्थापित कर अपने लक्ष्य के अनुरूप रीडिंग करना तथा Bill Distribution का कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
6. सभी माननीय सांसदों/विधायकों को 16KVA तथा 33KVA के वैसे ट्रांसफॉर्मर वाले स्थलों की सूची, अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्राक्कलन के साथ भेजने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया, जहाँ इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।
7. 10,000/- रुपये से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत सम्पर्कता भंग करने की कार्रवाई तुरन्त आरम्भ करें। बैठक के क्रम में श्री श्यामसुन्दर कुमार, शिक्षक, आर0एस0के0 उच्च विद्यालय, खड़गपुर के विरुद्ध भी गलत तरीके से विद्युत संचालन एवं बकाया राशि भुगतान नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर निदेश दिया गया कि अविलम्ब उक्त व्यक्ति के विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

8. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सम्बन्धित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया जाए।
9. सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया कि विद्युत से संबंधित दर्ज FIR की थानावार/तिथिवार विस्तृत सूची, जिसमें FIR No. एवं धारा का वर्णन अवश्य रहे, एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से अनुरोध किया जा सके।
10. Reconducturing:- समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ कि तारापुर में इसके अन्तर्गत खराब/जले हुए तारों को बदलने का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है जिसमें गुणात्मक वृद्धि लाना आवश्यक है। अवगत कराया गया कि Reconducturing में नया और पुराना तार के बंधन में 10% के depreciation को मान्य माना गया है। अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जमालपुर और मुंगेर में Agency नहीं है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में नियमानुसार Agency चयनित कर Reconducturing का कार्य आरम्भ करें।
11. नीलामपत्र वादों की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि सभी सहायक अभियंता अपने क्षेत्र के वादों का पंजी IX एवं X का मिलान एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिया गया कि बिजली संबंधी नीलाम पत्र अब जिला नीलामपत्र शाखा में ही दायर किया जाएगा।
12. Lighting arrestor लगाने हेतु निर्देश दिया गया कि 63/100/120KVA के Transformer में Lighting arrestor लगाया जाय। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि खड़गपुर में 133 में 22, जमालपुर में 314 में 67, मुंगेर में 303 में 60 तथा तारापुर में 213 में 99 में ही Lighting Arrestor लगाया गया है। निर्देश दिया गया कि शेष Transformer में दिनांक 05.09.2013 तक Lighting Arrestor निश्चित रूप से लगाना सुनिश्चित किया जाए।


अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1662...../विद्युत, दिनांक...24/08/2013


प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1662...../विद्युत, दिनांक...24/08/2013

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।